न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

न0 10/19 तारीख रजू:– 14.08.2019

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

1. श्रीफल पुत्र प्रभूदयाल मीना
2. काडूराम पुत्र प्रभूदयाल मीना
3. जगराम पुत्र प्रभूदयाल मीना
4. महेश पुत्र प्रभूदयाल मीना
5. सुन्दर देवी पत्नि प्रभूदयाल मीना
   निवासीयान मेहन्दीपुर तहसील टोडाभीम

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. रामसिंह पुत्र रामकिशन मीना निवासी मेहन्दीपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली।
2. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।
3. सब रजिस्ट्रार टोडाभीम जिला करौली।

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (अ) अन्तर्गत धारा आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थिति:– श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट प्रार्थीगण

श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक:– 20.02.2020

प्रार्थना पत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मेहन्दीपुर की आराजी ख0न0 117 रकवा 0.12 है0 पूर्व मे प्रभू पुत्र धनपाल, एवं रामसिंह पुत्र रामकिशन मीना की सयुक्त खातेदारी मे था, न्यायालय श्रीमान के आदेश से ख0न0 117 दो भागो मे ख0न0 117 रकवा 0.060 है0 व 687/117 रकवा 0.006 है0 मे विभाजित कर बटवारा कर दिया। जिसके अनुसार ख0न0 117 रामसिंह पुत्र रामकिशन व 687/117 प्रभू पुत्र धनपाल को खातेदार बनाया गया था। ख0न0 121 व 687/117 मे गत 60 वर्षो से वादी मय परिवार अपने पशुओ के आवास व चारा स्टोर बनाकर निवास कर रहे है जिनके लिये कच्चा रास्ता पगडण्डीनुमा है। उपरोक्त पक्के आवास तथा केटल शेड को आने जाने के लिये तथा ख0न0 121 व 687/117 को टेक्टर व वाहन ले जाने के लिये रास्ता ख0न0 122/482 स्थित ग्राम मेहन्दीपुर जो बालाजी से जगदीशपुरी की कोठी को मिलाता हुआ बोडी के बास से जोडता है वह ख0न0 121 रकवा 0.56 है0 मे होकर आता है। जिसकी चौडाई करीबन 15 फिट है लम्बाई 40 मीटर है जो मुख्य रास्ते ख0न0 122/482 मे ख0न0 117 व 687/117 तक है। वादीगण अपने हक मे आयी आराजी मे पक्के मकान बनाकर करीबन 60 वर्षो से स्थायी रूप से अपने पूर्वजो के समय से निवास कर रहे है तथा इसके निकट ही कुआ व बौर है जिसमे आने जाने के लिये मुख्य रास्ता ख0न0 122 रकवा 0.56 है0 मे बना हुआ है। जिसमे होकर प्रार्थीगण व परिवारजन अपने ट्रेक्टर , मवेशी व अन्य सवारी वाहन आना जाना करते है। प्रतिवादी न0 1 जब भी नाराज हो जाता है तभी इस रास्ते को बन्द कर देता है। अप्रार्थीगण

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

मन मे बदयान्ति है। अप्रार्थीगण उपरोक्त रास्ते मे स्थित ख0न0 121 बाके ग्राम मेहन्दीपुर मे प्रार्थीगण की खातेदारी व स्थित कृषि विकाससार्थ बने मकान व केटल शेड ख0न0 37/117 तथा कुआ व बोरिंग ख0न0 118, 119 मे आने जाने नही दे रहे है। ना हि ट्रेक्टर ो निकलने दे रहे है।

प्रार्थीगणो ने अप्रार्थीगण से हाथ जोडकर निवेदन किया कि इस परम्परागत व थायी रास्ता जो बुजुर्गान के समय से है निर्बाध रूप से उपयोग मे किया जा रहा है उसका उपयोग व उपभोग करने देने पर अप्रार्थीगण ने इसमे आने जाने के लिये स्पष्ट मना कर दिया है तथा लडने झगडने पर उतारू हो जाता है व गाली गलौच करता है। व महिलाओ को आगे कर दिया जाता है। तथा झूठे मुकदमे करने की धमकी देता है। इस कारण यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 अ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदक को अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त की आराजी ख0न0 687/117 रकवा 0.06 है0 ग्राम मेहन्दीपुर मे आने जाने वालो के लिये ख0न0 121 की उत्तर पूरब बाउण्ड्री के सहारे–सहारे उत्तर से दक्षिण 15 फिट चौडा रास्ता तथा पूरब से पश्चिम 40 मीटर लम्बा रास्ता (ख0न0 122/482 से 687/117) तक 100 फीट जिसे सलग्न नक्शा ट्रेस मे लाल रंग की लाईन प्रदर्शित किया गया है। कि सीमा तक राजस्व शीट, नक्शा ट्रेस मे दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करे। आवेदकगणो द्वारा इस बावत रास्ते हेतु कायम होने वाले भूमि का इस अधिनियम की मंशानुसार इस सम्माननीय न्यायालय द्वारा आदेशित मुआवजा राशी खातेदारान को अदा करने के लिये तैयार है बसूरत उक्त मुआवजा राशी अनावेदक न0 2 के यहा जमा किराने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी न0 2 व 3 बावजूद सूचना उपस्थित नही हुये इसलिये इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी न0 1 की और से जबाब पेश किया कि आराजी ख0न0 117 रकवा 0.12 है0 ग्राम मेहन्दीपुर प्रार्थीगण के पिता प्रभूदयाल एवं अप्रार्थी रामसिंह के नाम सयुक्त खातेदारी मे अन्य आराजीयात के साथ होना स्वीकार है। न्यायालय द्वारा दिनांक 22.12.2015 को तकास्मा के अनुसार खातेदारी होना भी स्वीकार है। प्रार्थी का यह कहना गलत है कि ख0न0 121 व 687/117 मे पिछले 60 साल से प्रार्थीगण मय परिवार अपने पशुओ के आवास व चारा स्टोर कर निवास कर रहे है तथा उक्त भूमि मे होकर कच्चा पगडन्डी नुमा रास्ता है यह कहना भी गलत है कि ख0न0 121 व 687/117 को टेक्टर व वाहन ले जाने के लिये रास्ता ख0न0 122/482 स्थित ग्राम मेहन्दीपुर जो बालाजी से जगदीशपुरी की कोठी को मिलाता हुआ बोडी के बास से जोडता है। यह कहना भी गलत है कि ख0न0 121 रकवा 0.56 है0 मे होकर आता है। जिसकी चौडाई करीबन 15 फिट है लम्बाई 40 मीटर है जो मुख्य रास्ते ख0न0 122/482 मे ख0न0 117 व 687/117 तक है। प्रार्थीगण के समस्त तथ्य अप्रार्थी न0 1 की कब्जेशुदा खातेदारी की आराजी जो न्यायायल द्वारा तकास्मे मे आयी भूमि ख0न0 121 रकवा 0.56 है0 को हडपने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र पेश किया है। यदि उक्त आराजी ख0न0 121 मे, 117 मे, 687/117 मे प्रार्थीगणो द्वारा बताया गया तथा कथित रास्ता होता तो अप्रार्थी न0 1 द्वारा पेश किये गये बटवारे के दावे मे प्रार्थीगण के पिता द्वारा अपने जबाब दावे मे बताते। यह प्रार्थना पत्र केवल मात्र अप्रार्थी के हिस्से मे आयी खातेदारी भूमि ख0न0 121 को न्यायालय के माध्यम से हडपने के उददेश्य से पेश किया है जो खारिज योग्य है।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण का यह कहना गलत है कि ख0न0 122 मे कोई तथाकथित आने जाने मुख्य रास्ता बना हुआ है। ख0न0 122 रकवा 0.56 है0 का बताया है जो स्वीकार नही है ल्कि रकवा 0.01 गै0मु0 हैण्डपम्प है जिससे प्राथीगण का कोई संबध किसी प्रकार का नही । प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न नक्शा मौके के विपरीत होने से खारिज योग्य है। प्रार्थीगण पनी भूमि ख0न0 687/117 मे आने जाने के लिये ख0न0 97,96,99 मे होकर ही आते जाते । यह ख0न0 प्रार्थीगण की खातेदारी मे ही है। प्रार्थीगण इसी रास्ते को स्वंय का रास्ता बना कते है लेकिन प्रार्थीगण विधि विरूद्व गलत तरीके से अप्रार्थी की आराजी ख0न0 121 मे ोकर कब्जा का रास्ता निकालने को आमदा है। जबकि धारा 251 के प्रावधान के अनुसार यदि मौके पर खातेदार की आराजी मुख्य रास्ते से जुडी हुई नही हो, आने जाने के विकल्प मे कोई रास्ता नही हो, तो ही अन्य खातेदारो की आराजी मे होकर रास्ते के लिये न्यायालय मे आवेदन कर सकता है। जबकि प्रार्थीगण की आराजी ख0न0 97 मुख्य रास्ते के लगवा है। इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज फरमया जावे। दिनांक 3.8.19 को या कभी–भी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य कोई बात नही हुई है जब ख0न0 121 मे कोई रास्ता ही नही है तो किसी प्रकार की बात होने का प्रश्न नही है। प्रार्थीगण मुख्य रास्ते से स्वयं की आराजी ख0न0 687/117 मे आने जाने के लिये स्वंय की आराजी ख0न0 97 जो मुख्य रास्ते से लगवा है मे होकर आते जाते है इसलिये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251 अ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की श्रेणी मे नही आता है प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण मे प्रार्थना पत्र एवं जबाब प्रार्थना पत्र की प्रति तहसीलदार टोडाभीम को भेजकर मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार टोडाभीम की रिपोर्ट का उल्लेख किया तहसीलदार टोडाभीम से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 5.11.2019 पर अप्रार्थी की ओर से आपत्ति इस प्रकार पेश की कि तहसीलदार टोडाभीम द्वारा स्वंय मौके पर नही जाकर अधीन पटवारी हल्का, गिरदावर हल्का से मौके से विपरीत अप्रार्थी की अनुपस्थिति मे बिना नोटिस दिये प्रार्थीगणो के कहे अनुसार तैयार कराई है। रिपोर्ट मे गलत दर्ज किया है कि प्रार्थी को अन्य वेकल्पिक रास्ता नही है जबकि प्रार्थीगा ख0न0 687/117 मे आने जाने के लिये स्वंय की आराजी ख0न0 97 जो सडक के सहारे स्थित है मे होकर ख0न0 97, 96, 99 मे होकर आते जाते है। लेकिन पटवारी एवं गिरदावर ने जानबूझकर इन तथ्यो को न्यायालय से छिपाया है। कमिश्नर रिपोर्ट के मद न0 3 मे ख0न0 123/482 जो गै0मु0 रास्ता के रूप मे स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। इस गै0मु0 रास्ते के लगवा ही प्रार्थीगण की आराजी ख0न0 97, 96, 687/117 स्थित है। इसलिये कमिश्नर महोदय की रिपोर्ट खारिज करते हुये प्रार्थना पत्र 251 ए खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र आपत्ति मौका कमिश्नर रिपोर्ट का जबाब प्रार्थीगण की ओर से पेश किया कि सभी पक्षो की उपस्थिति मे मोका देखकर नाप करके मौका अनुसार वास्तविक रिपोर्ट पेश की है। वैकल्पिक रास्ता नही होना सही लिखा है। क्योकि मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। यह कहना कतई गलत है कि ख0न0 687/117 मे ख0न0 97,96,99 मे होकर आते जाते है। नक्शा को देखे तो ख0न0 99, 96 के मध्य अप्रार्थी रामसिंह की खातेदारी की आराजी ख0न0 98 व 100 आपस मे जुडे हुये है। उक्त दोनो ख0न0 को जोडकर अप्रार्थी ने पानी के कुण्डे बना रखे है पाईप लाईन डाल रखी है। इसलिये वहा होकर जाना कतई सम्भव नही है। ख0न0 123/482 के सटवा ख0न0 96, 97 की आराजी जरूर है लेकिन 99 की भूमि नही है। इसलिये प्रार्थना पत्र आपत्ति मौका कमिश्नर खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अप्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र आपत्ति मौका कमिश्नर रिपोर्ट के साथ मूल प्रार्थना पत्र की बहस करते हुये कथन किया कि मौका

उपखण्ड अधिकारी
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

रिपोर्ट, मौका अनुसार नही बनाई गई है। प्रार्थीगण को अपनी आराजी ख0न0 687/117 मे आने जाने के लिये स्वंय की खातेदारी के खेत ख0न0 97, 96, 99 सडक से सटे हुये है। इन्ही नम्बरान मे होकर आते जाते है। ख0न0 121 मे होकर कोई रास्ता नही है। जब इनकी आराजी रास्ते के रूप मे उपयोग हो रही है तो उस भूमि मे होकर ही रास्ता बना सकते है। इस रास्ते के बनाने के बीच मे अप्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजी ख0न0 98 एवं 100 के कोने मे होकर रास्ता देने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र आपत्ति मौका रिपोर्ट स्वीकार करते हुये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 251 ए खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी वकील ने मौका रिपोर्ट को वास्तविक बताते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण आराजी ख0न0 687/117 मे ख0न0 97, 96, 99 मे होकर आते जाते नही है। नक्शे को देखे तो ख0न0 99 व 96 मे मध्य अप्रार्थी रामसिंह की खातेदारी की आराजी ख0न0 98 व 100 आपस मे जुडे हुये है पानी के कुण्डे बना रखे है पाईप लाईन डाल रखी है, इसलिये वहा होकर जाना कतई सम्भव नही है। मौका रिपोर्ट सही बनाई गई है। आपत्ति प्रार्थना पत्र मौका रिपोर्ट खारिज फरमाते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251 ए स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न नक्शा ट्रेस मे लाल रंग की लाईन से प्रदर्शित रास्ते को राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा सीट मे दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली मे शामिल मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार टोडाभीम की ओर से प्राप्त मौका रिपोर्ट मे प्रार्थीगण को रास्ते की आवश्यकता बताई गई है। ख0न0 121 से चाहा गया रास्ता ही निकटतम बताया है और वैकल्पिक रास्ते का भी अभाव बताया है। तथा मुताबिक नक्शा सीट ख0न0 121 से रास्ते की लम्बाई 40 मीटर बताई है व 180 वर्ग मीटर भूमि रास्ते के उपयोग मे प्रभावित बताई है तथा ख0न0 121 मे अप्रार्थीगण द्वारा गेहू की फसल बौना बाडा बनाने का उल्लेख किया है। पत्रावली मे अन्य सलग्न दस्तावेजात जमाबन्दी ग्राम मेहन्दीपुर सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 238, 196, 239 व नक्शा किश्तवार मौजा मेहन्दीपुर सम्वत 2043 का भी अवलोकन किया ख0न0 123/482 रकवा 0.25 है0 गै0मु0 रास्ता प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है। जिसको लेकर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण वकील द्वारा दौराने बहस रास्ता चालू होना स्वीकार किया है। सलग्न नक्शा ट्रेस के अवलोकन से पाया कि प्रार्थीगण ख0न0 123/482 जो रिकार्ड मे गै0मु0रास्ता दर्ज है से ख0न0 121 रकवा 0.56 की उत्तर पूर्व मेड से रास्ता चाहते है जो अप्रार्थी न0 1 की खातेदारी मे दर्ज है ख0न0 121 के पूर्व मे ख0न0 98 स्थित है जो भी अप्रार्थी न0 1 की खातेदारी मे है लेकिन ख0न0 98 के पूर्व मे लगते हुये ख0न0 97,96 स्थित है जो प्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज है ख0न0 97 ख0न0 123/482 से जुडा हुआ है अर्थात प्रार्थीगण के पास ख0न0 123/482 जो प्रार्थीगण व अप्रार्थी न0 1 की शामलाती खातेदारी मे है, से ख0न0 97, 96 मे आया जा सकता है। ख0न0 96 का कोना ख0न0 99 से मिला हुआ है जो भी प्रार्थीगण की खातेदारी मे है। तथा ख0न0 99 की पश्चिम सीमा से लगता हुआ ख0न0 687/117 है जिसके लिये प्रार्थीगण रास्ता चाहते है। अर्थात प्रार्थीगण स्वंय की खातेदारी ख0न0 97, 96, 99 से होकर ख0न0 687/117 मे आ सकता है। इस रास्ते को बनाने मे आराजी ख0न0 98 व 100 जो कि अप्रार्थी की खातेदारी मे है मे से ख0न0 96 के कोने पर स्थित ख0न0 98 व 100 मे से रास्ता बना सकता है। दौराने बहस उपस्थित पक्षकार प्रार्थी को समझाईश की गई जिस पर अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी की आराजी ख0न0 98 व 100 के कोने मे होकर भूमि निःशुल्क देने को सहमत है किन्तु प्रार्थी इसको लेकर सहमत नही हुआ।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए की मंशा है कि आवेदक को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता हो व वैकल्पिक रास्ते का अभाव हो तो 251 ए के अन्तर्गत रास्ता दिया जा सकता है। यहॉ यह बात तो सही है कि प्रार्थीगण को निवास की आराजी तक जाने मे रास्ते की आवश्यकता है किन्तु प्रार्थीगण के पास ख0न0 123/482 जो कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी न0 1 की सयुक्त खातेदारी मे है से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि ख0न0 97, 96, 99 मे होकर रास्ता आरक्षित करवा सकता है। अप्रार्थी न0 1 अपनी खातेदारी की आराजी ख0न0 98, 100 के कोने मे होकर रास्ता देने को सहमत भी है। परन्तु आवेदक उधर से रास्ता नही चाहता है अर्थात वैकल्पिक रास्ता आवेदक को उपलब्ध है। ऐसी स्थिति मे आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र मे चाहे अनुसार रास्ता दिया जाना धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा के अनुरूप नही है।

अतः प्रार्थना पत्र आपत्ति मौका रिपोर्ट स्वीकार किया जाता है। तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए खारिज किया जाता है। प्रार्थी अपनी खातेदारी मे होकर रास्ता चाहने के लिये अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिये स्वतत्र है।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

20/2/2020

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.03.04 15:53:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: